रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03082024-256017
CG-DL-W-03082024-256017

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 3—अगस्त 9, 2024 (श्रावण 12, 1946)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 3—AUGUST 9, 2024 (SRAVANA 12, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	479
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	773
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2755
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2659
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	5
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	3035
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	479
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	773
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2755
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2659
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3035
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

———————

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2024

विषय : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी) की संवर्ग समीक्षा के संबंध में।

सं. 28/04/2013-प्रशासन (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)-वित्त मंत्री, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के आधार पर, उनकी आईडी सं. 2(8)/E.III Desk/2020 दिनांक 24.05.2024 के तहत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी) के विभिन्न संवर्गों की सरंचना निम्न अनुसार है:-

(क) अनुवाद/तकनीकी संवर्ग:

मौजूदा कैडर सरंचना			संशोधित कैडर सरंचना		
पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	मौजूदा स्वीकृत पद	पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
निदेशक	लेवल-13	01	निदेशक	लेवल-13	01
संयुक्त निदेशक	लेवल-12	04	संयुक्त निदेशक	लेवल-12	05(+1)
उप निदेशक	लेवल-11	02	उप निदेशक	लेवल-11	12(+10)
सहायक निदेशक	लेवल-10	41	सहायक निदेशक	लेवल-10	34(-7)
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल-7	54	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल-7	51(-3)
तकनीकी सहायक	लेवल-6	09	तकनीकी सहायक	लेवल-6	0(-9)
पदों का जोड़		111	पदों का जोड़		103(-8)

(ख) लिपिकीय/प्रशासनिक संवर्ग:

मौजूदा कैडर सरंचना			संशोधित कैडर सरंचना		
पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	मौजूदा स्वीकृत पद	पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
प्रशासनिक अधिकारी	लेवल - 7	01	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल - 11	01
--	--	--	अनुभाग अधिकारी	लेवल - 7	04(+4)
कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 6	03	कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 6	0(-3)

मौजूदा कैडर सरंचना			संशोधित कैडर सरंचना		
पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	मौजूदा स्वीकृत पद	पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
मुख्य लिपिक	लेवल – 6	01	मुख्य लिपिक	लेवल – 6	0(-1)
--	--	--	सहायक	लेवल – 6	08(+8)
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	लेवल – 6	01	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	लेवल – 6	01
प्रवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 4	16	प्रवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 4	12(-4)
प्रूफ रीडर	लेवल - 4	02	प्रूफ रीडर	लेवल - 4	0(-2)
अवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 2	30	अवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 2	25(-5)
एम.टी.एस.	लेवल - 1	38	एम.टी.एस.	लेवल - 1	30(-8)
स्टाफ कार ड्राइवर	लेवल - 2	02	स्टाफ कार ड्राइवर	लेवल - 2	01(-1)
पदों का जोड़		94	पदों का जोड़		82(-12)

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड (वेतन लेवल-7) और कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक ग्रेडों (वेतन लेवल-6) में विद्यमान पदधारी, यदि कोई हों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 20-09-2022 के दिशा-निर्देशों में वेतन लेवल-11 एवं वेतन लेवल-7 के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए क्रमश: प्रशासनिक अधिकारी (वेतन लेवल-11) और अनुभाग अधिकारी (वेतन लेवल-7) में पदस्थापित किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिकीय संवर्ग:

मौजूदा कैडर सरंचना			संशोधित कैडर सरंचना		
पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	मौजूदा स्वीकृत पद	पद का नाम	वेतन स्तर 7वां सीपीसी के अनुसार	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
--	--	--	निजी सचिव	लेवल-7	01(+1)
आशुलिपिक ग्रेड-।	लेवल-6	05	आशुलिपिक ग्रेड-।	लेवल-6	04(-1)
आशुलिपिक ग्रेड-।।	लेवल -4	04	आशुलिपिक ग्रेड-।।	लेवल -4	04
पदों का जोड़		09	पदों का जोड़		09(0)
कुल जोड़		214	कुल जोड़		194 (-20)

2. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के विभिन्न संवर्गों की समीक्षा के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सृजित पदों पर पदोन्नति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी तथा नए सृजित पदों पर (भर्ती नियम अधिसूचित न होने की स्थिति में) पदोन्नति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से की जाएगी।

3. यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[मिसिल सं. 28/04/2013-प्रशासन (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)]

डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2024

सं. 9-3/2023-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्च शिक्षण संस्थान को समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), रोपड़ (पंजाब) द्वारा आइजोल, अगरतला, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, केकड़ी, कोहिमा, पटना और श्रीनगर में स्थित ग्यारह घटक इकाइयों के साथ डी-नोवो (अब विशिष्ट) श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी सम विश्वविद्यालय पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 19-2/2022 (सीपीपी-आई/डीयू) दिनांक 15.11.2023 के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा आवेदन की जांच की गई थी।

4. और जबकि, यूजीसी ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, (पंजाब) में मुख्य परिसर के साथ आइजोल, अगरतला, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, केकड़ी, कोहिमा, पटना और श्रीनगर में स्थित ग्यारह घटक इकाइयों को कतिपय शर्तों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है।

5. और इसके अलावा जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), रोपड़ (पंजाब) को आइजोल, अगरतला, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, केकड़ी, कोहिमा, पटना और श्रीनगर में स्थित अपनी ग्यारह घटक इकाइयों के साथ तीन वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 24.11.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:—

i. प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्थान को गैर-लाभार्थ सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

ii. संस्थान की अचल संपत्ति प्रस्तावित संस्थान, समविश्वविद्यालय संस्थान या उसके प्रायोजक निकाय के नाम पर होगी।

iii. संस्थान को, जहां भी लागू हो, संबंधित सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

iv. संस्थान को प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।

v. संस्थान संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले आवश्यक संकाय सदस्यों की भर्ती करेगा।

vi. संस्थान को उन विश्वविद्यालयों से एनओसी प्रस्तुत करनी होगी जिनके साथ सभी प्रस्तावित घटक इकाइयां संबद्ध हैं।

vii. संस्थान को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार संगम ज्ञापन (एमओए) प्रस्तुत करना होगा।

viii. संस्थान को, सम-विश्वविद्यालय घोषित होने के बाद भी वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ix. संस्थान को इस आशय का विधिक वचन देना होगा कि वह यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।

6. और जबकि, संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से दिनांक 24.11.2023 के आशय-पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजी गई थी।

7. और इसके अलावा जबकि, जबकि यूजीसी ने पत्र संख्या 19-2/2022 (सीपीपी-आई/डीयू) दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से बताया कि उसी विशेषज्ञ समिति ने, जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी, संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा दिनांक 15.05.2024 को आयोजित अपनी 580वीं बैठक (मद संख्या 2.10) में विचार किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया।

8. अब इसलिए, यूजीसी की सलाह पर, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), रोपड़ (पंजाब) को आइजोल, अगरतला, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, केकड़ी, कोहिमा, पटना और श्रीनगर में स्थित इसकी ग्यारह घटक इकाइयों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत एक समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

सं. 10-3/2022-यू.3(ए)—जबकि, विग्नान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलोजी एंड रिसर्च (वीएफ़एसटीआर) (सम विश्वविद्यालय), गुंटूर, आंध्र प्रदेश ने विग्नान हिल्स, देशमुखी गांव, पिल्लईपल्ली पोस्ट, पोचमपल्ली, यदाद्री भुवनागिरी, हैदराबाद में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 12.02.2024 के पत्र संख्या 10-1/2022 (सीपीपी-I/ डीयू) के माध्यम से कतिपय शर्तों के साथ वीएफएसटीआर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर हैदराबाद में ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु विग्नान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलोजी एंड रिसर्च, गुंटूर, आंध्र प्रदेश को दिनांक 23.02.2024 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:—

i. संस्थान 25 करोड़ रुपये के लिए बनाई गई समग्र निधि का विवरण प्रस्तुत करेगा।

ii. संस्थान अपने नाम, पदनाम और योग्यता के साथ संकाय विवरण प्रस्तुत करेगा।

iii. संस्थान ऑफ-कैंपस केंद्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

4. और जबकि, कुलपति, वीएफएसटीआर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश ने अपने दिनांक 25.05.2024 के पत्र के माध्यम से आशय-पत्र (एलओआई) की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के पश्चात, यूजीसी ने दिनांक 27.06.2024 के पत्र के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की कि सम विश्वविद्यालय वैधानिक परिषदों से अनुमोदन के अध्यधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

5. अत:, अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की सलाह पर, विग्नान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलोजी एंड रिसर्च, (वीएफ़एसटीआर) (सम विश्वविद्यालय), गुंटूर, आंध्र प्रदेश को विग्नान हिल्स, देशमुखी गांव, पिल्लईपल्ली पोस्ट, पोचमपल्ली, यदाद्री भुवनागिरी, हैदराबाद में एक ऑफ-कैंपस केंद्र इस शर्त के साथ शुरू करने के लिए मंजूरी देता है कि संबंधित वैधानिक परिषदों के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही सम विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का विग्नान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नॉलोजी एंड रिसर्च, (वीएफ़एसटीआर) (सम विश्वविद्यालय), गुंटूर, आंध्र प्रदेश द्वारा पालन किया जाएगा।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2024

सं. 10-4/2022- यू.3(ए)—जबकि, बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार मदुरै में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 40-7/2022 (सीपीपी-आई/डीयू) दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु को कतिपय शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु को मदुरै में ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु दिनांक 02.03.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:—

i. सम-विश्वविद्यालय अपरिवर्तनीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से सम विश्वविद्यालय के नाम पर स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपये की समग्र निधि बनाए रखने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

ii. सम-विश्वविद्यालय प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए, जहां कहीं लागू हो, संगत सांविधिक परिषदों से प्राप्त अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

iii. सम-विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या में संकाय की भर्ती करेगा और उनका विवरण प्रस्तुत करेगा।

iv. शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 से कम होना चाहिए, जिसमें नियमित कक्षा मोड के तहत संकाय की संख्या कम से कम 25 शिक्षकों और न्यूनतम 500 छात्रों की होनी चाहिए, जिनमें से कम से कम एक तिहाई पीजी/अनुसंधान छात्र हों; और कम से कम 3 पीजी विभाग, जो अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करते हों।

v. सम-विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संगत सांविधिक परिषदों द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करेगा।

vi. प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र में निर्मित क्षेत्रफल प्रति छात्र 30 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा जिसमें शैक्षणिक (शैक्षणिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, आदि), प्रशासनिक (छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य देखभाल), सामान्य और मनोरंजक सुविधाएं शामिल होंगी।

4. और जबकि, कुल सचिव, बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु ने अपने पत्र दिनांक 22.01.2024 के माध्यम से आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के पश्चात्, यूजीसी ने दिनांक 25.06.2024 के पत्र के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन कि सम विश्वविद्यालय वैधानिक परिषदों से अनुमोदन के अध्यधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करेगा, अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की।

5. अत:, अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम-विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु को मदुरै में एक ऑफ-कैंपस केंद्र इस शर्त के साथ शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है कि सम विश्वविद्यालय संबंधित वैधानिक परिषदों के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देगा।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम-विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाएगा।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi Dated 30th July, 2024

SUBJECT: CADRE REVIEW OF CENTRAL TRANSLATION BUREAU (CTB), UNDER DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE, MINISTRY OF HOME AFFAIRS-REG.

No. 28/04/2013-ADM.(CTB)—BASED ON THE APPROVAL OF THE FINANCE MINISTER, DEPARTMENT OF EXPENDITURE, MINISTRY OF FINANCE, GOVERNMENT OF INDIA VIDE THEIR ID NO. 2(8)/E.III DESK/2020 DATED 24.05.2024 CADRE STRUCTURE OF VARIOUS CATEGORIES OF CENTRAL TRANSLATION BUREAU (CTB) UNDER DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE, MINISTRY OF HOME AFFAIRS ARE AS UNDER:—

A-TRANSLATION /TECHNICAL CADRE:—

EXISTING CADRE STRUCTURE			REVISED CADRE STRUCTURE		
NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	PRESENT SANCTIONED POSTS	NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	NUMBER OF POSTS APPROVED BY DEPARTMENT OF EXPENDITURE, MINISTRY OF FINANCE
DIRECTOR	LEVEL-13	01	DIRECTOR	LEVEL-13	01
JOINT DIRECTOR	LEVEL-12	04	JOINT DIRECTOR	LEVEL-12	05(+1)
DEPUTY DIRECTOR	LEVEL-11	02	DEPUTY DIRECTOR	LEVEL-11	12(+10)
ASSISTANT DIRECTOR	LEVEL-10	41	ASSISTANT DIRECTOR	LEVEL-10	34(-7)
SENIOR TRANSLATION OFFICER	LEVEL-7	54	SENIOR TRANSLATION OFFICER	LEVEL-7	51(-3)
TECHNICAL ASSISTANT	LEVEL-6	09	TECHNICAL ASSISTANT	LEVEL-6	0(-9)
TOTAL POSTS		111	TOTAL POSTS		103(-8)

B-CLERICAL/ ADMINISTRATIVE CADRE:—

EXISTING CADRE STRUCTURE			REVISED CADRE STRUCTURE		
NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	PRESENT SANCTIONED POSTS	NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	NUMBER OF POSTS APPROVED BY DEPARTMENT OF EXPENDITURE, MINISTRY OF FINANCE
ADMINISTRATIVE OFFICER	LEVEL-7	01	ADMINISTRATIVE OFFICER	LEVEL-11	01
--	--	--	SECTION OFFICER	LEVEL-7	04(+4)
OFFICE SUPERINTENDANT	LEVEL-6	03	OFFICE SUPERINTENDANT	LEVEL-6	0(-3)
HEAD CLERK	LEVEL-6	01	HEAD CLERK	LEVEL-6	0(-1)
--	--	--	ASSISTANT	LEVEL-6	08(+8)
SENIOR LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT	LEVEL-6	01	SENIOR LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT	LEVEL-6	01

EXISTING CADRE STRUCTURE			REVISED CADRE STRUCTURE		
NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	PRESENT SANCTIONED POSTS	NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	NUMBER OF POSTS APPROVED BY DEPARTMENT OF EXPENDITURE, MINISTRY OF FINANCE
UPPER DIVISION CLERK	LEVEL-4	16	UPPER DIVISION CLERK	LEVEL-4	12(-4)
PROOF READER	LEVEL-4	02	PROOF READER	LEVEL-4	0(-2)
LOWER DIVISION CLERK	LEVEL-2	30	LOWER DIVISION CLERK	LEVEL-2	25(-5)
MULTI TASKING STAFF	LEVEL-1	38	MULTI TASKING STAFF	LEVEL-1	30(-8)
STAFF CAR DRIVER	LEVEL-2	02	STAFF CAR DRIVER	LEVEL-2	01(-1)
TOTAL POSTS		94	TOTAL POSTS		82(-12)

THE EXISTING INCUMBENT(S), IF ANY, IN ADMINISTRATIVE OFFICER GRADE (PAY LEVEL-7) AND OFFICE SUPERINTENDENT/ HEAD CLERK GRADES (PAY LEVEL-6) SHALL BE PLACED IN ADMINISTRATIVE OFFICER (PAY LEVEL-11) AND SECTION OFFICER GRADE (PAY LEVEL-7) RESPECTIVELY, ONLY AFTER FULFILLING THE REQUISITE QUALIFYING SERVICE STIPULATED FOR PAY LEVEL-11 & PAY LEVEL-7 IN THE GUIDELINES DATED 20.09.2022 ISSUED BY DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING AND ONLY AFTER FOLLOWING ALL DUE PROCEDURE.

C-STENOGRAPHY CADRE:—

EXISTING CADRE STRUCTURE			REVISED CADRE STRUCTURE		
NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	PRESENT SANCTIONED POSTS	NAME OF POST	PAY LEVEL AS PER THE 7TH CPC	NUMBER OF POSTS APPROVED BY DEPARTMENT OF EXPENDITURE, MINISTRY OF FINANCE
--	--	--	PRIVATE SECRETARY	LEVEL-7	01(+1)
STENOGRAPHER GRADE-I	LEVEL-6	05	STENOGRAPHER GRADE-I	LEVEL-6	04(-1)
STENOGRAPHER GRADE-II	LEVEL-4	04	STENOGRAPHER GRADE-II	LEVEL-4	04
TOTAL POSTS		09	TOTAL POSTS		09(0)
GRAND TOTAL		214	GRAND TOTAL		194 (-20)

2. CONSEQUENT UPON THE CADRE REVIEW OF VARIOUS CADRES OF CENTRAL TRANSLATION BUREAU, PROMOTION AGAINST ADDITIONALLY CREATED POSTS WILL BE MADE AS PER THE EXISTING RECRUITMENT RULES AND PROMOTION AGAINST NEWLY CREATED POSTS WILL BE MADE (IN ABSENCE OF NOTIFIED RECRUITMENT RULES) IN CONSULTATION WITH DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING.

3. THIS ISSUED WITH THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY.

FILE NO. 28/04/2013-ADM.(CTB)

DR. MEENAKSHI JOLLY
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 15th July 2024

No. 9-3/2023-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an online application was uploaded on UGC Deemed University Portal for grant of Institution deemed to be University status under de-Novo (now Distinct) Category to National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), Ropar (Punjab) with its eleven constituent units located at Aizawl, Agartala, Aurangabad, Calicut, Gorakhpur, Imphal, Itanagar, Kekri, Kohima, Patna and Srinagar.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 19-2/2022 (CPP-I/DU) dated 15.11.2023, informed that the application was examined through an Expert Committee as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.

4. And whereas, the UGC recommended that the National Institute of Electronics and Information Technology may be issued Letter of Intent (LoI) to declare as an Institution deemed to be University under Distinct category with the main campus at Ropar, (Punjab), and eleven constituent units located at Aizawl, Agartala, Aurangabad, Calicut, Gorakhpur, Imphal, Itanagar, Kekri, Kohima, Patna and Srinagar as its constituent units with certain conditions.

5. And further whereas, the Ministry of Education, considering advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) dated 24.11.2023 to National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), Ropar (Punjab) along with its eleven constituent units located at Aizawl, Agartala, Aurangabad, Calicut, Gorakhpur, Imphal, Itanagar, Kekri, Kohima, Patna and Srinagar for fulfillment of the following conditions within a period of three years:—

i. The proposed Institution deemed to be University shall be registered as a not-for-profit Society / Trust / Company.

ii. The immoveable assets of the Institute shall be in the name of the proposed Institution deemed to be University or the Sponsoring body.

iii. The Institute shall obtain approval of the relevant statutory bodies, wherever applicable.

iv. The Institution shall submit the curriculum for the proposed programs.

v. The Institution shall recruit necessary faculty members with the minimum qualification prescribed by the concerned regulatory body.

vi. The Institution shall submit the NOC from the Universities with which all the proposed constituent units are affiliated.

vii. The Institution shall submit the Memorandum of Association (MoA) as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.

viii. The Institution shall submit a letter of commitment from the Government to continue financial support even after declaration of it as an Institution deemed to be University.

ix. The Institute shall submit a legal undertaking to the effect that it shall abide by all the provisions of the Act, rules and regulations made under the UGC Act, 1956.

6. And whereas, the Institution, vide its letter dated 02.02.2024 submitted compliance report vis-a-vis conditions stipulated in the LoI dated 24.11.2023. The compliance report of the Institution was sent to UGC for verification and its advice.

7. And further whereas, UGC, vide letter No.19-2/2022 (CPP-I/DU) dated 13.06.2024 conveyed that the same Expert Committee, which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI), has accepted the compliance report of the Institution. The Commission in its 580th meeting (Item No. 2.10) held on 15.05.2024 considered and accepted the report of the UGC Expert Committee.

8. Now, therefore, on the advice of the UGC, the Ministry of Education, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), Ropar (Punjab) along with its eleven constituent units located at Aizawl, Agartala, Aurangabad, Calicut, Gorakhpur, Imphal, Itanagar, Kekri, Kohima, Patna and Srinagar as an Institution deemed to be University under Distinct category.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

No. 10-3/2022-U.3(A)—Whereas, Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (VFSTR) (Deemed to be University), Guntur, Andhra Pradesh has submitted an online application on the UGC portal for establishment of an off-campus centre at Vignan Hills, Deskhmukhi Village, Pillaipally Post, Pochampally, Yadadri Bhuvanagiri, Hyderabad.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 10-1/2022 (CPP-I/DU) dated 12.02.2024, had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to VFSTR, Guntur, Andhra Pradesh with certain conditions.

3. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 23.02.2024 to Vignan's Foundation for Science, Technology & Research, Guntur, Andhra Pradesh for fulfillment of the following conditions within a period of 3 years before starting off-campus centre at Hyderabad:—

i. The Institution shall submit details of corpus fund maintained for Rs. 25 crores.

ii. The Institution shall submit faculty details along with their name, designation and qualification.

iii. The Institution shall submit approval letter from All India Council for Technical Education (AICTE) & Pharmacy Council of India (PCI) for the proposed courses at off-campus centre.

4. And whereas, Vice-Chancellor, VFSTR, Guntur, Andhra Pradesh, vide its letter dated 25.05.2024, submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. After verification of the compliance report, UGC, vide letter dated 27.06.2024, recommended for issuance of notification subject to condition that the deemed to be University will start professional courses subject to approval from the statutory councils.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (VFSTR) (Deemed to be University), Guntur, Andhra Pradesh to start an off-campus Centre at Vignan Hills, Deskhmukhi Village, Pillaipally Post, Pochampally, Yadadri Bhuvanagiri, Hyderabad with the condition that the deemed to be University shall admit students in professional courses only after previous approval of the respective Statutory Council(s).

6. Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (VFSTR) (Deemed to be University), Guntur, Andhra Pradesh shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

The 16th July 2024

No.10-4/2022-U.3(A)—Whereas, B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu submitted an online application on the UGC portal for establishment of an off-campus centre at Madurai in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2019.

2. And whereas, UGC, vide its letter No.40-7/2022 (CPP-I/DU) dated 17.01.2023, had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu with certain conditions.

3. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 02.03.2023 to B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu for fulfillment of the following conditions within a period of 3 years before starting off-campus centre at Madurai:—

i. The Deemed to be University shall submit documents for maintaining corpus fund of Rs. 10 Crore permanently in the name of the Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities.

ii. The Deemed to be University shall submit the approval letter obtained from the relevant Statutory Council(s) for the proposed courses, wherever applicable.

iii. The Deemed to be University shall recruit the required number of faculty as per the UGC's norms and shall submit their details.

iv. The teacher student ratio shall be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 25 teachers and a minimum of 500 students on its rolls under the regular class room mode, of which not less than one third being PG/research students; and at least 3 PG Departments which research programmes.

v. The Deemed to be University shall create the necessary infrastructure facilities as prescribed by the UGC/relevant Statutory Council(s).

vi. The built up area at the proposed Off-Campus Centre shall not be less than 30 Sq. Mt. Per students which shall include academic (academic building, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities.

4. And whereas, Registrar, B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu, vide its letter dated 22.01.2024, submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. After verification of the compliance report, UGC, vide letter dated 25.06.2024, recommended for issuance of notification subject to condition that the deemed to be University will start professional courses subject to approval from the statutory councils.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu to start an off-campus Centre at Madurai with the condition that the deemed to be University shall admit students in professional courses only after previous approval of the respective Statutory Council(s).

6. B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan Digitally signed by Kshitiz Mohan Date: 2024.08.03 08:52:21 +05'30'